

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला—ग्वालियर
(म०प्र०)



1— शंकर सिंह पिता रणबहादुर सिंह

R 675 - 447

शंकर सिंह पिता रणबहादुर सिंह

आज दि 12-2-17 को जीतेन्द्र सिंह पिता रणबहादुर सिंह सभी निवासी ग्राम—धुम्मा खुर्द तहसील सिहावल जिला—सीधी म०प्र० —आवेदक / निगरानीकर्तागण

कलक ऑफ कोट १७/२१७

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजनारायण सिंह तनय श्री बलिकरण सिंह बाघेल

छोटेलाल सिंह पिता श्री बलिकरण सिंह बाघेल निवासी ग्राम—धुम्मा खुर्द तहसील सिहावल जिला—सीधी म०प्र०

3— म०प्र० शासन

अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा
32 म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षण वावत् न्यायालय तहसीलदार
सिहावल के प्रकरण क्र. 10/अ-5/
2007-08 राजनारायण विरुद्ध म०प्र०
शासन पारित आदेश दिनांक—20.03.2008
को निरस्त किये जाने।

मान्यवर,

आवेदकगणों की ओर से निम्नांकित विन्दुओं के आधार
पर आवेदन / निगरानी प्रस्तुत है :—

1— यह कि ग्राम—धुम्मा कला की आराजी खसरा क्र. 181,213, 248, 250, 161, एवं धुम्मा खुर्द की आराजी खसरा क्र. 175, 208 का आवेदक एवं अनावेदकगणों की पैत्रिक आराजियात है।

2— यह कि उक्त आराजियातों का आपसी सहमति के आधार पर सहरवातेटारों के मध्ग नंतताग गूर्फ़ ऐगाज किंजा गांग गांग के

(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक

12-6751/II/17/2018

शिक्षा विभाग / २०१८/१९/०९

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

09/01/19

आवेदक की ओर से श्री २०१८/१९/०९ अधिवक्ता
द्वारा यह निगरानी तहसीलदार = शिवानंद के
प्रकरण क्रमांक १०१३०-५१०७-०८ में पारित आदेश दिनांक
२०-३-०८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में
दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित
संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु
प्रकरण कलेक्टर जिला - ११९१७ के न्यायालय को अंतरित किया
जाता है। उभय पक्ष दिनांक २२/४/१९ को कलेक्टर जिला
११९१७ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य

[Signature]